

न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ।
उपस्थित: अपूर्व सिंह उ० प्र० न्यायिक सेवा
फौ० वाद सं०: 12373/2019
सीएनआर नं० यूपीएमई०४० ५१९०३-२०१९
सरकार बनाम कादिर
धारा ३/२५ आयुध अधिनियम
थाना मैडिकल कालेज, मेरठ।
मु० अ० सं०: ६३१/२०१९
सत्र सुपुर्दगी आदेश

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्त कादिर जिला कारागार से उपस्थित आया। नकलें दी जा चुकी हैं। अभियुक्त पर धारा ३/२५ आयुध अधिनियम का आरोप है। इसी घटना से संबंधित मुख्य अपराध की पत्रावली वाद सख्या 12374/2019 धारा 353,356,307 आईपीसी सरकार बनाम कादिर आज ही माननीय सत्र न्यायालय सुपुर्द की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त पत्रावली माननीय सत्र न्यायालय को सुपुर्द की जाने योग्य है।

अतः उक्त पत्रावली माननीय सत्र न्यायालय को सुपुर्द की जाती है। लोक अभियोजक सूचित हो। कलैन्डर तैयार किया जाये। समस्त अभिलेख यथाशीघ्र माननीय सत्र न्यायालय को भेजे जाये।

कारागार अधीक्षक, जिला कारागार मेरठ, को आदेशित किया जाता है कि वे अभियुक्त को दिनांक 26.11.2019 को माननीय सत्र न्यायालय, मेरठ, के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें तथा माननीय सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

दि०: 12.11.2019

(अपूर्व सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ।

This is uncertified copy for information/reference. For authentic copy please refer to certified copy only.